पूजा आदि - जगदीश प्रसाद आदि पु.न. 57/24

दिनांक	आज्ञा पत्र	
21.10.24	पत्रावली पेश। [illegible] उभयपक्ष अनुपस्थित पत्रावली बाद आदेश दिनांक 23.10.24 पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
23.10.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट डिसमिस की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 57 / 2024

1 पूजा पत्नी कृष्णलाल उम्र 24 साल जाति बलाई निवासिनी देव गैस गोदाम के पास सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र गोपीराम उम्र 76 साल जाति रैगर निवासी ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।
2 आदर्श कुमार वर्मा पुत्र भंवरलाल उम्र 41 साल जाति बलाई निवासी प्लॉट नम्बर 105, रीको हाउसिंग कॉलोनी, बी.के.आर. रोड़ नम्बर डी, विद्याधर नगर जयपुर (राज.)।
3 उप पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय अजीतगढ़।
4 उप तहसीलदार अजीतगढ़।
5 पटवारी पटवार हल्का गढ़टकनेत।
6 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रे.) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह आरएएस प्रकरण संख्या 184 / 2023 जी.सी.एम.एस. 2023 / 320 दायर दिनांक 20.10.2023 निर्णय दिनांक 05.01.2024 उनवानी जगदीश तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्त.अधि. 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 23.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 184/2023 में पारित निर्णय दिनांक 05.01.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक वाद तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1990/1 वाके ग्राम गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने वरवक्त बहस प्रकरण रिमांड करने पर सहमति व्यक्त की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 23.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर